# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **146/24 (वि.प्रा.पत्र)**

**GCMS No : 2024/564**

1. श्री अक्षय राव पुत्र जयसिंह राव जाति जाट, उम्र बालिग, निवासी– 1/2, सी. ए.डी. कॉलोनी, दादाबाड़ी, कोटा, त. कोटा, जिला–कोटा (राज.)

.....प्रार्थी

**बनाम्**

1. श्रीमती दिक्षा देवी पत्नी नरेश कुमार जाति सेनानी, उम्र बालिग, निवासी–हिरणमगरी, उदयपुर, त. गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पायल देवी पत्नी विशाल कुमार जाति सेनानी, उम्र बालिग, निवासी–हिरणमगरी, उदयपुर, त. गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती हर्षोदेवी पत्नी विजय कुमार जाति सेनानी, उम्र बालिग, निवासी–हिरणमगरी, उदयपुर, त. गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.)
4. श्री तुलसीराम पुत्र मोहन जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा. जिला–उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती दलु पत्नी मोहन जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
6. श्री फतहसिंह पुत्र रतनसिंह जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
7. श्री बालु पुत्र किशना जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– आटेल्या, जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
8. श्री भमरू पुत्र किशना जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– आटेल्या, जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
9. श्री रामुबाई पत्नी किशना जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी आटेल्या, जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
10. श्री लक्ष्मीबाई पुत्री किशना जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी आटेल्या, जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
11. श्री सोहन पुत्र किशना जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी आटेल्या, जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
12. श्री सोहनीबाई पत्नी डालू जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी– जावड़, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, साहब घासा, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
14. पटवारी पटवार हल्का जावड़, त. घासा, त. घासा, जिला–उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

# प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## —: निर्णय :—

**दिनांक : 13.02.2025**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम जावड़ पटवार हल्का जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज.) में स्थित है। जिसकी खाता संख्या 519 नया 82 पुराना खसरा संख्या 5553/689 रकबा 1.6106 हेक्टर एवं खाता संख्या 520 नया 54 पुराना खसरा संख्या 689 रकबा 1.6062 हेक्टर कृषि भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमियाँ प्रार्थी के एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य की है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई भी रास्ता राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए खसरा संख्या 5488/688, खसरा संख्या 5592/687 जो विपक्षीगण संख्या एक से तीन के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इसके साथ ही लगती हुई खसरा संख्या 5489/688 जो विपक्षी संख्या चार से छः के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इसके साथ ही लगती हुई खसरा संख्या 687, 688 जो विपक्षीगण संख्या सात से बारह के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, इसके साथ ही लगती हुई खसरा संख्या 686 है जो किस्म रास्ता होकर विपक्षीगण संख्या तेरह के नाम दर्ज है। उपरोक्त विपक्षीगणों की उपरोक्त खसरा संख्या कृषि भूमियों में से होकर अपनी खातेदारी भूमियों पर आ जा रहा है।
3. यह कि प्रार्थी की उपरोक्त खसरा संख्या कृषि भूमि पर आने जाने के लिए कोई भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज मार्ग उपलब्ध नहीं है चारों ओर खातेदारी कृषि भूमियाँ है, जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने ओर वाहन लाने ले जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, मौके पर रास्ते को लेकर भी विपक्षीगणों से विवाद हो रहा है। प्रार्थी के पास की खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नही है। विपक्षीगण उनकी खातेदारी जमीन होने प्रार्थी को आने जाने के लिए रोक रहे है।
4. यह कि अभी काश्त का समय है प्रार्थी को अपनी खातेदारी जमीन पर आने–जाने के लिए मार्ग नहीं होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन को विकसित भी नहीं कर पा रहा है उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर विपक्षीगणों की खातेदारी में होकर ही [illegible] जाते है। लेकिन विपक्षीगणों ने उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि से प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने से मना कर दिया है।

5. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.12.2024 को प्रारम्भ हुआ जब विपक्षीगणों ने प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने के उनकी खातेदारी से आने–जाने से मना कर दिया। प्रार्थी ने रास्ता कायम कराने के लिए भी निवेदन किया लेकिन विपक्षीगणों ने रास्ता देने से मना कर दिया ओर तभी से प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. यह कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने का मार्ग बंद कर देने से मना कर देने से प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि आने–जाने से वंचित हो गया है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने के लिए सुगम मार्ग की उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है, विपक्षीगणों की खातेदारी मे से रास्ता उपलब्ध कराने में जो भी न्यायालय शुल्क निर्धारित करेगा वो प्रार्थी अदा करने को तैयार है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

7. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि पर आने–जाने के लिए 30 फीट चौड़ा रास्ता विपक्षीगणों की खातेदारी कृषि भूमियों में से कायम किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किस्म रास्ता के रूप में अमल दरामद व नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावे। यह कि विपक्षीगणों की उक्त खातेदारी कृषि भूमियों में से रास्ता कायम किये जाने बाबत् समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत न्यायायल के आदेशानुसार प्रार्थी जमा कराने को तैयार है।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 689 रकबा 1.6026 हेक्टेयर एवं 5553/689 रकबा 1.6106 हेक्टेयर प्रार्थी अक्षय पिता जयसिंह राव के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड हैं। नक्शा ट्रेस एवं मौका अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर आने जाने का रिकॉर्ड रास्ता नहीं हैं। प्रकरण में वर्णित खसरा नम्बर 5488/688, 5592/687 विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम खसरा संख्या 5489/688 विपक्षी संख्या 4 से 6 के नाम एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 687, 688 विपक्षी संख्या 7 से 12 के नाम हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

9. यह कि प्रार्थी खातेदारी खसरा संख्या 5553/689, 689 एवं बिलानाम रास्ता खसरा संख्या 686 के बीच उपरोक्त वर्णित विपक्षी संख्या 1 सं 12 तक के खसरा संख्या 5488/688, 5592/687, 5489/688, 687, 688 में से 30 फीट न्यूनतम दूरी का रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित है जिसका विवरण खसरावार निम्नानुसार है :–

| खसरा नम्बर | कुल रकबा | रास्ता हेतु प्रस्तावित | खातेदार |
|---|---|---|---|
| 5592/687 | 1.9506 | 0.1610 | विपक्षी संख्या 1 से 3 |
| 5488/688 | 1.3597 | 0.0220 | विपक्षी संख्या 1 से 3 |
| 687 | 1.9506 | 0.0695 | विपक्षी संख्या 7 से 12 |
| 688 | 1.9506 | 0.0494 | विपक्षी संख्या 7 से 12 |
| 5489/688 | 1.3678 | 0.0256 | विपक्षी संख्या 4 से 6 |
| योग | 8.5793 | 0.3275 | |

10. यह कि रास्ता के लिए वर्णित उक्त खसरा संख्या 687, 688 में खातेदार वालू पिता किशना गुर्जर (विपक्षी संख्या 7) का 1/6 हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा थामला के नाम रहन दर्ज हैं। रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि बंजड होकर अंसिचित एवं आबादी सडक से दूर है। जिसकी डीएलसी दर 9,20,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 0.3275 हेक्टेयर की कीमत 3,01,300/– अक्षरे तीन लाख एक हजार तीन सौ रूपया बनती हैं। रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल पेश की गई।

11. अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा भी तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से [illegible] समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 519 पर दर्ज आराजी नम्बर 5553/689 रकबा 1.6106 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 520 पर दर्ज आराजी नम्बर 689 रकबा 1.6062 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। बिलानाम आराजी नम्बर 686 रकबा 0.3643 हेक्टेयर किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 5553/689 के मध्य विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5592/687, 687, 688, 5488/688, 5489/688 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5592/687, 687, 688, 5488/688, 5489/688 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.3275 हेक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में विपक्षीगण की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

| खसरा नम्बर | कुल रकबा | रास्ता हेतु प्रस्तावित | खातेदार |
|---|---|---|---|
| 5592/687 | 1.9506 | 0.1610 | विपक्षी संख्या 1 से 3 |
| 5488/688 | 1.3597 | 0.0220 | विपक्षी संख्या 1 से 3 |
| 687 | 1.9506 | 0.0695 | विपक्षी संख्या 7 से 12 |
| 688 | 1.9506 | 0.0494 | विपक्षी संख्या 7 से 12 |
| 5489/688 | 1.3078 | 0.0256 | विपक्षी संख्या 4 से 6 |
| योग | 8.5793 | 0.3275 | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested

13. इस प्रकार रास्ते में प्रयुक्त होने वाली विपक्षीगण की भूमि का कुल रकबा 0.3275 हेक्टेयर अर्थात् 3275 वर्गमीटर भूमि जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 9,20,000/– रूपये अक्षरे नौ लाख बीस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मुल्यांकन 3,01,300/– रू. बनता है। डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि 6,02,600/– रूपये बनना बताया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## :: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की आराजी नम्बर 5592/687 रकबा 1.9506 हेक्टेयर भूमि में से 0.1610 हेक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 5488/688 रकबा 1.3597 हेक्टेयर भूमि में से 0.0220 हेक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 687 रकबा 1.9506 हेक्टेयर भूमि में से 0.0695 हेक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 688 रकबा 1.9506 हेक्टेयर भूमि में से 0.0494 हेक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 5489/688 रकबा 1.3678 हेक्टेयर भूमि में से 0.0256 हेक्टेयर भूमि अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 3275 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 3,01,300/– का दुगुना 6,02,600/– रूपयें अक्षरे छः लाख दौ हजार छः सौ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर (SDO)**
**मावली, जिला उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested